भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5711
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएं

5711. **श्री सतपाल ब्रह्मचारी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए हरियाणा में कोई नई योजना आरंभ की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए बजटीय आवंटन का जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहित करने और सहायता देने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ग्रामीण महिलाओं सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा सहित देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए कई पहलें की गई हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत लगभग 10.29 करोड़ महिलाएं 91.75 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो देश में ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत यह अधिदेश दिया गया है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत सृजित रोजगार में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं को दिए जाने चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना में मकानों का स्वामित्व महिला को देने पर विशेष जोर दिया जाता है और यह निर्णय लिया गया है कि मकान का आवंटन, कुछ अपवादों के साथ, महिला के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा।

'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 12.47 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10.33 करोड़ महिलाओं को 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत स्वच्छ रसोई गैस का कनेक्शन देने तथा 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 15.51 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित सभी के जीवन में बदलाव आया है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन भी शुरू किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम, कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या उनकी भरपाई करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागान फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित गतिविधियां चलाने वाली सहकारी समितियों में लगी हुई हैं।

महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए श्रम संहिताओं में मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसे कई सहायक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन करके पहले दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। इस अधिनियम में महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश देने और पचास या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच सुविधा का प्रावधान भी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू कर रहा है, जिन्हें तीन उप-योजनाओं अर्थात (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3), कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में बांटा गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण संबंधी कार्यकलापों को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर तालमेल में सुधार के लिए कार्यनीतियां प्रस्तावित करने पर विशेष ध्यान देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-** जिला स्तर पर स्थित एक संस्था जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।

ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) -** महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है।

ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) -** बीबीबीपी मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।

घ. **नारी अदालत-** एक ऐसा प्रयोगात्मक मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** - संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक घटकों: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित

समाधान तैयार करना (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (iv) आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा तालमेल की कार्रवाई को मजबूत करना है। यह योजना कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये योजनाएं मांग आधारित होती हैं और जब भी एसएनए मानदंडों का अनुपालन किया जाता है, तो निधियों को सीधे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया जाता है।

ये पहलें महिलाओं और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और देश में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए बनाई गई परिवर्तनकारी योजनाएं हैं इनमें अधिक समावेशी, समतामूलक, न्यायसंगत और सहायक समाज बनाने के उद्देश्य से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया जाता है।

*****